प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 09-02-2021

30 लीटर नाजायज कच्ची अपमिश्रित शराब व एक 1 किलो यूरिया व 100 ग्राम नौसादर तथा शराब बनाने के उपकरण के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर चलाये जा रहे अभियान व अवैध शराब के निष्कर्षण व रोकथान हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्वेक्षण में व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन एवं श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अख्तर आलम मय हमराहियान उपनिरीक्षक प्रभात सिंह उप निरीक्षक आशीष कुमार दुबे तथा का0 नंदलाल गौड व कांस्टेबल नंदन सिंह के मय जीप सरकारी नं 53 AG 0891 के बिनावर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व अवैध रोकथाम शराब निष्कर्षण में मामूर होकर गगहा चौराहे पर मौजूद था कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब भलुवान के पास भट्टे पर कुछ व्यक्ति टीन सेट में पीछे साइड नाजायज कच्ची शराब बना रहे हैं मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करके हमराही अधिकारी कर्मचारीगण को मकसद से अवगत कराते हुए मुखबिर खास को साथ में लेकर भालुवान चौराहे के पास पहुंचने वाले थे कि मुखबिर खास ने बताया कि साहब यही ईट का भट्टा है मुखबिर खास कुछ दूर पहुंच कर दिखाया कि वहीं टीन शेंड है जहां से धुआ निकल रहा है उसी के अंदर भट्टी है जहां शराब का निर्माण करते हैं बता कर हट बढ़ गया तत्पश्चात हम पुलिस वाले चारों तरफ से घेर कर नजदीक पहुंचकर छिपकर देखा तो तीन व्यक्ति मौजूद हैं पहला भट्टी पर लकड़ी लगा कर आग तेज कर रहा था एक व्यक्ति भट्टी पर रखी पतीली में कुछ डाल रहा था एवं एक व्यक्ति द्वारा गड्ढे से एक प्लास्टिक की थैली खींचकर निकाल रहा उक्त लोग शराब ही बना रहे हैं हम पुलिस वाले एक बारकी दिबश देकर घेर घार कर मौके पर ही तीनों लोगों को पकड़ लिया गया पकड़े गए व्यक्तियों ने क्रमशः 1-महेश लोहरा उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर लोहरा निवासी ग्राम आर्या थाना किसको जिला लोहरदगा प्रदेश झारखंड 2-जयराम उरांव उम्र 38 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सुक्खू उरांव निवासी ग्राम ब्लाडी पोस्ट मुंगो थाना श्रृंगदाग जनपद लोहरदगा प्रदेश झारखंड 3- बीरी उराव उम्र 40 वर्ष पुत्र शर्वा उरांव निवासी ग्राम बर्रे नवा टोला थाना सिसई जनपद गुमला प्रदेश झारखंड। पकडे गये अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि भट्टे के मालिक धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पुत्र जय प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह व छोटेलाल पुत्र कन्हैया व मोहन पुत्र रामखेलावन निवासी जगदीशपुर भलुवान थाना गगहा जनपद गोरखपुर के कहने पर इन्हीं की निगरानी में हम लोग शराब बनाते हैं अभियुक्तगण उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 60/63 EX.Act व 272 आईपीसी0 से अवगत कराते हुए दिनांक 8/1/2021 को समय करीब 20.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- (1) महेश लोहरा पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर लोहरा निवासी ग्राम आर्या थाना किसको जिला लोहरदगा प्रदेश झारखंड
- (2) जयराम उरांव पुत्र स्वर्गीय सुक्खू उरांव निवासी ग्राम ब्लाडी पोस्ट मुंगो थाना श्रृंगदाग जनपद लोहरदगा प्रदेश झारखंड
- (3) बीरी उराव पुत्र शर्वा उरांव निवासी ग्राम बर्रे नवा टोला थाना सिसई जनपद गुमला प्रदेश झारखंड

गिरफ्तारी का स्थान व समय

धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंटू का भट्ठा बहद ग्राम जगदीशपुर भलुआन दिनांक 08.2.2021 व समय 20.20 बजे रात्रि

जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-

मु0अ0सं0 46/21धारा 60/63 EX.Act व 272 आईपीसी0

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

- (1)30नि0 अख्तर आलम थाना गगहा गोरखपुर
 (2) 30नि0 प्रभात सिंह थाना गगहा गोरखपुर
 (3) 30नि0 आशीष कुमार दुबे थाना गगहा गोरखपुर
 (4) का0 नंदन सिंह थाना गगहा गोरखपुर
 (5) का0 नन्दलाल गौड थाना गगहा गोरखपुर